भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या – 147
(जिसका उत्तर मंगलवार, 29 नवंबर, 2016 को दिया गया)

<u>सैल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा अपने पक्ष में सहमति जुटाये जाने (लाबिंग) पर उनके विरूद्ध कार्रवाई</u>

***147. श्री चुनीभाई कानजीभाई गोहेल:**

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत में अपने पक्ष में सहमति जुटाए जाने (लाबिंग) पर प्रतिबंध हैं और किसी भी समूह को ऐसा करने की अनुमति दिए जाने के संबंध में कोई आदेश नहीं है;
(ख) यदि हां, तो सरकार ने सैल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया को भारती एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया सैल्युलर की ओर से पक्ष-प्रचारक (लाबिस्ट) के रूप में कार्य करने की अनुमति किन कारणों से प्रदान की है; और
(ग) क्या सरकार की ऐसी कोई योजना है कि सी.ओ.ए.आई. द्वारा की जा रही लाबिंग के संबंध में विनियम और प्रक्रियाओं को दुरूस्त किया जाए तथा अनुचित कारोबार परिपाटी में संलिप्त होने और हाल ही में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित विनियमों का उल्लंघन करने के फलस्वरूप उनके विरूद्ध सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन जांच का आदेश दिया जाए और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्री अरूण जेटली)**

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

सैल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा अपने पक्ष में लाबिंग करने पर उनके विरूद्ध कार्रवाई के संबंध में 29 नवंबर, 2016 को राज्य सभा में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न 147 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ग): सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 या कंपनी अधिनियम, 1956/2013 में गुटबंदी (लॉबिंग) से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है और इन दोनों में से किसी भी अधिनियम में गुटबंदी (लॉबिंग) को नियमित करने के लिए कोई प्रावधान करने का प्रस्ताव नहीं है।

सैल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई), सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीकृत सैल्युलर मोबाईल टेलिफोन सेवा प्रदाताओं की एक संस्था है। भारत सरकार के दूरसंचार विभाग को दूरसंचार में निजी निवेश को बढ़ावा देने का दायित्व सौंपा गया है। इस विभाग ने भारती एयरटेल, वोडाफोन और आईडिया सैल्युलर की ओर से सीओएआई को लॉबिस्ट के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं दी है।

इस मंत्रालय द्वारा सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन जांच कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

*****